

नीतिशास्त्र में सामान्य मानव के ऐच्छिक क्रियाकलापों/आचरण के उचित या अनुचित होने का निर्णयन तथा निर्णयन के आधार या मापदंड के औचित्य एवं अनौचित्य की विवेचना की जाती है ताकि शुभ मानवीय जीवन की प्राप्ति हो सके। ऐच्छिक कर्म ऐसे कर्म हैं जिन्हें मनुष्य सोच-समझकर, जानबूझकर, अपनी स्वतंत्र इच्छा से करता है।

सारतत्व : सारतत्व का आशय है- अनिवार्य गुण, अपरिहार्य तत्व या मूल तत्व। वस्तु का सारगुण या सारतत्व वह होता है जो उसमें सदैव विद्यमान रहता है। सारगुण को वस्तु से पृथक करने पर उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। जैसे- अग्नि का सारगुण है- जलाना।

नीतिशास्त्र का सारतत्व वह है जिसकी विद्यमानता नैतिकता की व्याख्या हेतु अनिवार्य है अर्थात् जिसके अभाव में नैतिकता की व्याख्या संभव नहीं हो।

यहाँ नैतिकता के सारतत्व के दो संदर्भ हैं-

1. अपरिहार्य स्थितियाँ या आवश्यक पूर्व मान्यताएँ
2. रचनात्मक पक्ष या भावात्मक पक्ष

आवश्यक पूर्व दशाएँ

नीतिशास्त्र की आवश्यक मान्यताएँ वे हैं जिन्हें माने बिना नैतिकता की व्याख्या संभव नहीं हो सकती। ये मान्यताएँ नैतिकता की आधारशिला है। ये हैं-

1. **व्यक्तित्व:** नैतिकता एवं नैतिक जीवन का केन्द्र बिंदु व्यक्तित्व है। नैतिक सिद्धांतों का ज्ञाता एवं संकल्पजनित कर्म करने की क्षमता एक विवेकी व्यक्ति में हो सकती है। व्यक्तित्व के अंतर्गत आत्म चेतना, आत्म निर्णय, आत्म नियंत्रित क्रिया सम्मिलित रहती है।
2. **विवेक:** विवेक गुण के कारण ही मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ है। विवेक के आधार पर ही व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन उचित-अनुचित, शुभ-अशुभ आदि के रूप में किया जाता है। विवेक के अभाव में शुभ-अशुभ आदि की पहचान नहीं हो सकती।
3. **संकल्प की स्वतंत्रता:** संकल्प की स्वतंत्रता नैतिक आचरण का मेरुदंड है। केवल वही कर्म नैतिक मूल्यांकन के योग्य है जो स्वतंत्र संकल्प से किया गया हो। बिना किसी बाह्य प्रलोभन या दबाव के अपनी इच्छानुसार किसी कार्य को करने अथवा न करने की स्वतंत्रता ही संकल्प की स्वतंत्रता है। नैतिक निर्णयों एवं कर्मों के मूल्यांकन हेतु (उचित-अनुचित का निर्णय) संकल्प की स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। इसके होने पर ही उत्तरदायित्व की ठीक प्रकार से व्याख्या संभव हो सकती है।

संकल्प की स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ आत्म-निर्धारण है। तात्पर्य है कि हमारे कार्य हमारे द्वारा ही निर्धारित हैं वाह्य परिस्थितियों के द्वारा नहीं। विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनने में मानव स्वतंत्र है। इस रूप में मनुष्य अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है।

संकल्प स्वातंत्र्य की व्याख्या के लिए कुछ अनिवार्य दशाएँ अपेक्षित हैं। ये हैं-

- (i) **सामर्थ्य:** मनुष्य केवल उन्हीं कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र है जिसे करने की उसमें शारीरिक और मानसिक क्षमता हो। दूसरे शब्दों में- 'यदि वो चाहे तो उस कर्म को कर सकता है।' **उदाहरण:** तैरने की क्षमता होते हुए डूबते हुए व्यक्ति को न बचाना अनुचित कर्म होगा।
- (ii) **ज्ञान एवं उद्देश्य:** मनुष्य को केवल उन्हीं कर्मों के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है जिसे वह सोच-समझकर, उद्देश्य को ध्यान में रखकर, जान-बूझकर करता है। **उदाहरण:** छींक आने पर किसी को चोट लगने पर वह व्यक्ति नैतिक रूप से पूर्णतः उत्तरदायी नहीं होगा।
- (iii) **विकल्पों की उपस्थिति:** किसी विशेष अवसर पर मनुष्य जो कर्म करता है, उस अवसर पर उस कर्म से भिन्न कर्म करने का विकल्प होना चाहिए। **उदाहरण:** अकाल ग्रस्त गांव में भूखे व्यक्ति द्वारा कहीं संग्रहित अन्न की चोरी करना।

रचनात्मक पक्ष

1. 'नीति' के शाब्दिक अर्थ में हम नीतिशास्त्र का सार देख सकते हैं। नीति का शाब्दिक अर्थ है- ले जाना। यहाँ इसके तीन संदर्भ हैं-

प्रश्न

उत्तर

- (i) किसको ले जाना → आचरण को ले जाना
(ii) कहाँ ले जाना → कर्तव्य के पथ पर
(iii) क्यों ले जाना → शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए

संक्षेप में शुभ जीवन की प्राप्ति हेतु मानवीय आचरण को कर्तव्य के पथ पर ले जाना ही नीतिशास्त्र का सार तत्व है। कर्तव्यों के निर्धारण के क्रम में इस विवेचना की आवश्यकता हो जाती है कि- 1. कौन सा नियम आखिर नैतिक नियम है? 2. कर्तव्यों के संपादन का औचित्य क्या है? इस रूप में नैतिक कर्मों के निर्धारण के मानदंडों एवं उनके उद्देश्य आदि की विवेचना भी अपेक्षित हो जाती है।

2. **मूल्यों की उपस्थिति:** नीतिशास्त्र की विवेचना के क्रम में मूल्यों की स्थिति उभरती है। ये मूल्य हैं- दया, करुणा, प्रेम, न्याय, परोपकार, मानवता, निःस्वार्थता, परानुभूति, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, समानता, स्वतंत्रता आदि। इन मूल्यों एवं आदर्शों के अभाव में नीतिशास्त्र खोखले सिद्धांतों एवं नियमों का संग्रह मात्र हो जायेगा। अतः यदि जीवन के किसी भी पक्ष में नैतिकता की बात उभरती है तो फिर वहाँ इन मूल्यों, आदर्शों और संबंधित मानदंडों की विवेचना अपेक्षित हो जाती है। मूल्य वे कसौटियाँ या व्यवहार के मानदंड हैं, जिनके आधार पर उचित-अनुचित, अच्छे-बुरे, करणीय-अकरणीय का निर्णय लिया जाता है। इस रूप में मूल्य नीतिशास्त्र के सार तत्व हैं।

नैतिक मापदंडों, मानकों, सिद्धांतों आदि के औचित्य-अनौचित्य के निर्धारण के क्रम में भी मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है। मूल्य मानव जीवन का मार्गदर्शन करते हैं और उसे गरिमापूर्ण बनाते हैं। पुनः नैतिक दुविधा की स्थिति उत्पन्न होने पर भी समस्या समाधान के क्रम में मूल्यों की भूमिका प्रमुख होती है।

3. ग्रीक दार्शनिक सुकरात मतानुसार 'ज्ञान ही सदगुण है'। आशय है कि ज्ञानी होना सदगुणी होने की अनिवार्य एवं पर्याप्त शर्त है। जबकि अरस्तू का मानना है कि ज्ञान के साथ-साथ तदनु रूप अभ्यास भी सदगुणी होने के लिए आवश्यक है।
4. **कांट मतानुसार :** "विशुद्ध कर्तव्य की चेतना ही नैतिकता का सारतत्व है। यही नैतिकता का मूल आधार है।" कांट कर्तव्य कर्तव्य के लिए (Duty for duty sake) की बात करते हैं।

मानवीय क्रियाकलापों के विभिन्न क्षेत्रों में नैतिकता का सारतत्व

मानव जीवन के विविध आयाम हैं, यथा सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं पर्यावरणीय संदर्भ। एक सभ्य समाज में मानव जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कर्मों के मार्गदर्शक के रूप में नीतिशास्त्र एक अनिवार्य तत्व है। इसे हम निम्नलिखित तथ्य बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं-

1. सामाजिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व
2. राजनीतिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व
3. आर्थिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व
4. धार्मिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व
5. प्रशासनिक क्षेत्र में नीतिशास्त्र के सार तत्व
6. पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के सार तत्व

सामाजिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व

इनका संबंध सामाजिक हित के संवर्द्धन, समाज में मूल्यों के सुदृढीकरण आदि से होता है। सामाजिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व वे हैं जो मानव के सामाजिक जीवन का नैतिक मार्ग निर्देशन कर, सामाजिक कल्याण और सामाजिक मूल्यों के सुदृढीकरण में सहायक होते हैं। इससे सकारात्मक दिशा में सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। ये सामाजिक शिक्षा (Social Learning), सामाजिक चेतना (Social Consciousness) और सामाजिक संबंधों का परिणाम होते हैं। सामाजिक जीवन में नीतिशास्त्र के मुख्य सार तत्व निम्न हैं-

1. परस्पर विश्वास
2. कल्याण की भावना
3. सहभागिता
4. सहअस्तित्व एवं सहसंपन्ता
5. सामाजिक समरसता एवं सद्भाव

राजनीतिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व

राजनीतिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व को हम संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मूल्यों, आदर्शों के रूप में देख सकते हैं। ये आदर्श हमारी राजव्यवस्था के सम्यक् संचालन हेतु मार्ग निर्देशन का कार्य करते हैं। ये हैं-

1. पंथनिरपेक्षता
2. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, समाजवाद
3. सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय
4. समता
5. बंधुत्व
6. व्यक्ति की गरिमा

इस प्रकार हमारे संविधान द्वारा राजनीतिक नैतिकता के केन्द्रीय सार तत्व के रूप में एक **साम्यपूर्ण-न्यायपूर्ण समाज (Equitable and Just Society)** की स्थापना को केन्द्रीय तत्व माना गया है तथा राजनीतिक वर्ग से अपेक्षा की गयी है कि वह 'जनमत की सर्वोपरिता' के अधीन जन उत्तरदायित्व की भावना के साथ कार्य करें।

आर्थिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व

मानव जीवन के सम्यक् संचालन हेतु अर्थ (धन) अपरिहार्य है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ सिद्धांत के तहत चार पुरुषार्थों (धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष) की चर्चा की गई है जिसमें अर्थ गृहस्थ जीवन के सुखमय संचालन हेतु आवश्यक माना गया है। परंतु अर्थ का उपार्जन अनैतिक तरीके से ना होकर धर्मानुकूल (नैतिकतायुक्त) होना चाहिए। आर्थिक जीवन में नैतिकता के सारतत्व को हम 'अस्तेय', बौद्ध दर्शन के 'सम्यक्-आजीव' और गांधीजी के 'ट्रस्टीशिप' की अवधारणा में देख सकते हैं। आधुनिक आर्थिक जीवन में नीतिशास्त्र के प्रमुख सार तत्वों में शामिल हैं-

1. अर्थोपार्जन नैतिक माध्यम से किया जाय
2. उत्पादन प्रक्रिया में भागीदारी के अनुरूप लाभ में हिस्सेदारी अर्थात् आर्थिक समावेशन
3. वित्तीय अंतरणों में पारदर्शिता
4. करों के भुगतान में तत्परता एवं ईमानदारी
5. उत्पादन प्रक्रिया में पर्यावरणीय लागत को ध्यान रखना एवं इसको न्यून करना
6. विज्ञापन में नैतिक मानदंडों का पालन करना
7. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के समुचित उपाय करना
8. कार्मिकों के कल्याण को सुनिश्चित करना
9. वंचितों एवं शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के प्रति संवेदनशील होना
10. निवेशकों के प्रति जवाबदेह एवं ईमानदार रहना, इनसाइडर ट्रेडिंग न करना
11. खाद्य पदार्थों उत्पादन/प्रसंस्करण के समय यह ध्यान रखा जाय कि जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशकों (जैसे इंडोसल्फॉन), परिरक्षक रसायनों आदि का प्रयोग न किया जाय
12. लेखांकन के समय अनुचित क्रियाएं न करना

प्रशासनिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व

वर्तमान राज्य को प्रशासित राज्य (Administrative State) कहा जाता है, जिसमें मानव जीवन के प्रत्येक पहलू राज्य की नीतियों, उसके कार्यों एवं सेवा की गुणवत्ता से प्रभावित होते हैं। अतः प्रशासनिक नीतिशास्त्र के तत्वों का व्यापक महत्व है। एक लोक कल्याणकारी लोकतांत्रिक राज्य में प्रशासनिक जीवन को निर्देशित करने वाले नीतिशास्त्र के मुख्य तत्व हैं-

1. व्यक्तिगत हित के स्थान पर जनहित को वरीयता, प्रमुखता
2. क्रियाकलापों में पारदर्शिता
3. लाभभोगियों/लक्षित समूहों तथा कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता
4. व्यवहार में एकरूपता
5. सेवाभाव

प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक आडवें रीलड के अनुसार 'प्रशासन एक नैतिक कृत्य है तथा प्रशासक एक नैतिक अभिकर्ता (Moral Agent) है।

ग्रेट ब्रिटेन में सार्वजनिक जीवन में मानक स्थापित करने के लिए गठित 'नोलन समिति' ने सार्वजनिक जीवन में नीतिशास्त्र के सार तत्व के रूप में सात मूल तत्वों को स्वीकार किया गया है-

सार्वजनिक जीवन के सात मूल तत्व (Seven Principles of Public Life (Nolan Committee [UK]))

Selflessness निःस्वार्थनिष्ठता	Integrity सत्यनिष्ठता	Objectivity वस्तुनिष्ठता	Accountability जवाबदेहिता	Openness खुलापन	Honesty ईमानदारी	Leadership नेतृत्व
सार्वजनिक हित में निर्णय	कृतज्ञतावश, बाध्यतावश या दबाव के कारण अपने सरकारी कर्तव्यों से विमुख नहीं	सार्वजनिक नियुक्तियों, पुरस्कारों, ठेकों एवं लाभों की संस्तुति योग्यता के आधार पर	निर्णयों एवं कार्यों के लिए जनता के प्रति जवाबदेह	जहाँ तक हो सके अपने निर्णय और कार्यों के संबंध में पारदर्शिता	द्वंद्व की स्थिति में व्यक्तिगत हित के स्थान पर सार्वजनिक हित को वरीयता	उपरोक्त मूलभूत तत्वों को बढ़ावा एवं समर्थन करते हुए स्वयं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना

पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के सारतत्व

पर्यावरण और मानव के बीच एक घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। यह पारस्परिक संबंध एक नाजुक संतुलन पर आधारित है। हम अपनी अनेकों आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए पृथ्वी पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी उनकी पूर्ति भी करती है, किंतु उसकी इस संबंध में एक सीमा होती है। यदि हम इस सीमा से अधिक मांग करते हैं अथवा प्राकृतिक संसाधनों का एक सीमा से अधिक दोहन करते हैं तो इसकी धारणीयता खंडित हो जाती है और पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इस संबंध में गांधी जी ने कहा था- **‘पृथ्वी सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है किंतु किसी की लालच के लिए नहीं’**

पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के मुख्य सार तत्व निम्न हैं-

1. पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने का दायित्व
2. पर्यावरणीय संसाधनों के नैतिक उपयोग का दायित्व
3. सतत् पर्यावरण संगत विकास का दायित्व
4. पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता
5. पारस्परिकता एवं अंतःनिर्भरता का भाव
6. पर्यावरण मित्र तकनीक का उपयोग

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नीतिशास्त्र का सारतत्व

एक देश द्वारा किसी दूसरे देश के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहे भले ही उस देश की शासन व्यवस्था, धर्म, सभ्यता, विचारधारा, निहित स्वार्थ आदि पहले देश से भिन्न हो, सह-अस्तित्व कहलाता है। सह-अस्तित्व का सूत्र है- **‘जीओ और जीने दो।’** भारत प्रारंभ से ही शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सिद्धांत का अनुयायी एवं समर्थक रहा है। शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की प्रतिबद्धता को भारत ने पंचशील के पांच सिद्धांतों की स्वीकृति के रूप में मूर्त रूप दिया है।

पंचशील बौद्ध धर्म का एक पारिभाषिक शब्द है। जिसका अर्थ होता है- सद् आचरण के पांच सिद्धांत। बुद्ध ने इसका प्रतिपादन सामान्य जन के लिए आचरण के पांच सिद्धांतों के रूप में किया था। नेहरू समर्थित आधुनिक पंचशील के सिद्धांतों द्वारा राष्ट्रों के मध्य आचरण के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। ये सिद्धांत हैं-

1. सभी राष्ट्र एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे।
2. कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र पर आक्रमण नहीं करेगा।
3. कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
4. सभी राष्ट्र पारस्परिक हितों की पूर्ति के आधार पर अपने व्यवहार का निर्धारण करेंगे।
5. सभी राष्ट्र शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार पर अपने आचरण का निर्धारण करेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल, 1954 को तिब्बत के संदर्भ में भारत (भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू) और चीन के मध्य हुए एक समझौते में किया गया। यह बात और है कि बाद में चीन ने 1962 में इसका उल्लंघन किया।

भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने विभिन्न विचारधाराओं वाले देशों के बीच सहयोग एवं शांति पूर्ण सह-अस्तित्व की भावना को प्रसारित करने एवं स्थापित करने के लिए इसे भारत की विदेशी नीति का एक अंग बनाया। शांति पूर्ण सह-अस्तित्व भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख पक्ष है। अब विश्व के प्रायः सभी राष्ट्र पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता प्रदान करते हैं।